भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3189

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली पोर्टल

3189. श्री के. गोपीनाथः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली (एसडब्ल्यूसीएस) पोर्टल को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) खनन अनुमोदन प्रक्रियाओं के डिजिटल रूपांतरण के माध्यम से कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : कोयला मंत्रालय ने कोयला खनन परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने तथा इसमें तेजी लाने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (एसडब्ल्यूसीएस) पोर्टल लांच किया है। इस पहल के हिस्से के रूप में, *'खनन योजना'* और *'खान खोलने की अनुमति'* सहित कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अनुमोदनों की शुरू से आखिर तक ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण मंजूरी (ईसी), वन मंजूरी (एफसी), और वन्यजीव संबंधी मंजूरी (डब्ल्यूएल) प्राप्त करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) के परिवेश 1.0 पोर्टल के साथ सफलतापूर्वक एकीकरण पूरा किया गया। पोर्टल के परिवेश 2.0 में उन्नयन के बाद, एसडब्ल्यूसीएस के साथ एकीकरण को अंतिम रूप दिया गया है और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

एसडब्ल्यूसीएस पोर्टल का उद्देश्य कोयला ब्लॉकों के शीघ्र प्रचालन के लिए केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों से अपेक्षित विभिन्न अन्य मंजूरियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है।

(ख) : कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय मासिक आधार पर उत्पादन की निगरानी कर रहा है और संबंधित प्राधिकरियों के साथ मामलों के समाधान में सहायता प्रदान कर रहा है। अपने डिजिटल रूपांतरण के भाग के रूप में, मंत्रालय ने *'खनन योजना'* और *'खान खोलने की अनुमति'* के लिए अपनी अनुमोदन प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। यह डिजिटल दृष्टिकोण विलंब को काफी कम करता है और हितधारकों के बीच समन्वय को बढ़ाता है, जिससे अंततः कोयला उत्पादन में तीव्रता आती है।

****